न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–21 / 2023(पुरानी–28 / 2011) GCMS No.: 94/2023
प्रविष्टि दिनांक:–18.10.2023(पुरानी–20.07.2011)
निर्णय दिनांक:–20.08.2024

::–उनवान–::

1. *रामकिशन पुत्र बन्नालाल जाति गुर्जर निवासी बोहरा कॉलोनी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला केकड़ी राजस्थान।*
2. *शिवप्रकाश पुत्र श्री सोहनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण*
3. *मधु जैन पत्नी श्री विनोद कुमार जैन जाति जैन*
4. *सुशीला देवी पत्नी श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण*
5. *रामकन्या पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद*

प्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 निवासीगण ग्राम पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा

–अपीलान्ट

बनाम

1. *हंसराज पुत्र श्री श्योजी जाति गुर्जर निवासी कोटडी तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान।*

–रेस्पोडेण्ट

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूमि आवंटन (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970

उपस्थित :

1. श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री निर्मल चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

::–निर्णय–::

दिनांक **20.08.2024**

1. **प्रार्थी द्वारा *अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूमि आवंटन (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970* पेश प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है** प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम के तहत उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने खसरा नम्बर 398 / 1 रकबा 0.15 है भूमि वाके ग्राम कोटडी तहसील टोडारायसिंह का आंवटन अप्रार्थी के हक में दिनांक 06.01.2011 ई0 को किया। इसी कार्यक्रम के तहत उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने मन प्रार्थी के हक में खसरानं0 398 में से रकबा 0.20 है0 भूमि का आवंटन किया। जमाबन्दीं में खसरा नं0 398 / 1 का रकबा 0.35 है0 परन्तु नक्शा ट्रसे में जो तरमीम उठायी गयी है वह 0.35 है0 की नहीं है। इसलिए आंवटन के बाद अप्रार्थी को 0.9 है0 का कब्जा व

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

सुपुर्दगीनुमा की कार्यवाही की गयी। यह सब कार्यवाही कागजी कार्यवाही है मौके पर कोई कब्जा नहीं दिया गया। यहकि खसरा नं0 398/1 के पास में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खसरा नं0 398/2 व 399 वाके ग्राम कोटड़ी है। इसी आराजियात में ख0 नं0 398/1 मिला हुआ है। मौके पर एक खेत बना हुआ है जिस पर प्रार्थी काबिज है अप्रार्थी का वहां पर कोई खेत नहीं है। जमाबन्दी में व नक्शे में रकबे का मिलान नहीं होता है। छोटी पटटी के तहत उक्त भूमि मन प्रार्थी हक में नियमन किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने जो आवंटन आदेश अप्रार्थी के हक में किया है वह गलत है। अप्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष गलत तथ्य रखकर व झुठा शपथ पत्र पेश कर आवंटन करवाया है। अप्रार्थी आवंटन की पात्रता नही रखता है। अप्रार्थी ने अपने आपको उक्त आवंटन के लिये पात्र बताकर गलत तथ्य रखकर अपना आवेदन पेश किया और उपखण्ड अधिकारी ने उनकी जांच नही कर अप्रार्थी के हक में आवंटन कर गलत आदेश पारित किया है प्रार्थी का कब्जा बरसों से है। प्रार्थी को कभी बेदखल नही किया गया है आज भी कब्जा प्रार्थी का है। उक्त भूमि प्रार्थी की दीगर खातेदारी की भूमि में मिली हुयी है मौके पर एक की खेत बना हुआ है सुपुर्दगीनुमा की कार्यवाही भी कागजी कार्यवाही है अप्रार्थी के हक मे किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आवेदन स्वीकार कर फरमाया जाकर अप्रार्थी के हक में जो आवंटन हुआ है निरस्त फरमाया जावें।

2. **अप्रार्थी द्वारा अपील *अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूमि आवंटन (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970* प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि** दिनांक 06.01.2011 को मनअप्रार्थी को ख.नं0 398 का खसरा नम्बर 398/1 रकबा 0.15 है0 भूमि वाके ग्राम कोटडी का आवंटन मन अप्रार्थी को वैधानिक प्रक्रिया एवं वैधानिक प्रावधानों की पालना करते हुये किया था। ख0नं0 398 का पूरा रकबा 0.35 है0 है जिसमें से 398/1 रकबा 0.15 है0 भूमि मन अप्रार्थी को सही रूप से आवंटित की गयी ओर जिसका नक्शा ट्रैस में भीतर मन किया गया एवं मन अप्रार्थी को आवंटित की गयी भूमि का नियमानुसार मन अप्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया गया तब से मन अप्रार्थी आज तक लगातार उक्त आराजियात पर काबिज काश्त है जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरियों व राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। खसरा नम्बर 398 का कुल रकबा 0.35 है० है जिसका राजस्व रिकार्ड के अनुसार नक्शा ट्रैस में 0.35 है0 की तरमीम हो चुकी है एवं मौके पर भी उक्त आराजी का रकबा 0.35 है0 भौतिक रूप से मौजूद है। जिसके कारण ही उक्त रकबे मे से 0.15 है0 भूमि मन अप्रार्थी को एवं 0.20 है0 भूमि प्रार्थी को नियमानुसार अलोट की गयी है। प्रार्थी को पूर्व में अलोटमेंट हुआ उसके पश्चात जो शेष रकबा राजकीय भूमि का खाली था उसको आवंटन होने योग्य होने मानकर ही प्रार्थी को नियमानुसार वैधानिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों की पालना करते हुए आवंटन किया गया ओर कब्जा सुपुर्द किया जिस पर मन अप्रार्थी बतौर मालिक एंव स्वामी काबिज काश्त है। उक्त अलॉटमेन्ट को निरस्त करवाने का प्रार्थी को कानूनन हक अधिकार हासिल नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत अधिकृत व सक्षम अधिकारियों के द्वारा वैधानिक प्रक्रिया एवं वैधानिक प्रावधानो की पालना करते हुए मन अप्रार्थी को उक्त आराजी को अलॉटमेन्ट किये जाने का पात्र पाते हुए सम्पूर्ण मोका रिपोर्ट व पटवारी की रिपोर्ट के

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

पश्चात आंवटन किया जाकर मौके पर सुपुर्देगी की कार्यवाही की गयी है। जिसे कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के द्वारा खसरानम्बर 398 रकबा 0.35है0 की तरमीम राजस्व रिकार्ड में किए जाने के आदेश के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रैस में उक्त खसरानं0 की तरमीम सही रूप से की गयी है मौके पर उक्त खसरा नं0 का रकबा मौके पर भोतिक रूप से मौजूद होने के कारण ही पटवारी रिपोर्ट के पश्चात् मन अप्रार्थी को आवंटन किया जाकर सुपुर्द किया गया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हजाखर्चा खारिज फरमाया जावें।

3. अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र न्यायालय **अति0 जिला कलक्टर, टोंक** के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गयी।

4. **अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।**

5. **अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस** में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम के तहत उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने खसरा नम्बर 398/1 रकबा 0.15 है भूमि वाके ग्राम कोटडी तहसील टोडारायसिंह का आंवटन अप्रार्थी के हक में दिनांक 06.01.2011 ई0 को किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने मन प्रार्थी के हक में खसरा नं0 398 में से रकबा 0.20 है0 भूमि का आवंटन किया। जमाबन्दीं में खसरा नं0 398/1 का रकबा 0.35 है0 परन्तु नक्शा ट्रसे में जो तरमीम उठायी गयी है वह 0.35 है0 की नहीं है। इसलिए आंवटन के बाद अप्रार्थी को 0.9 है0 का कब्जा व सुपुर्दगीनुमा की कार्यवाही की गयी। यह सब कार्यवाही कागजी कार्यवाही है मौके पर कोई कब्जा नहीं दिया गया। यहकि खसरा नं0 398/1 के पास में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खसरा नं0 398/2 व 399 है। इसी आराजियात में ख0 नं0 398/1 मिला हुआ है। मौके पर एक खेत बना हुआ है जिस पर प्रार्थी काबिज है अप्रार्थी का वहां पर कोई खेत नहीं है। जमाबन्दी में व नक्शे में रकबे का मिलान नहीं होता है। छोटी पटटी के तहत उक्त भूमि मन प्रार्थी हक में नियमन किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने जो आवंटन आदेश अप्रार्थी के हक में किया है वह गलत है। अप्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष गलत तथ्य रखकर व झुठा शपथ पत्र पेश कर आवंटन करवाया है। अप्रार्थी आवंटन की पात्रता नही रखता है। अप्रार्थी ने अपने आपको उक्त आवंटन के लिये पात्र बताकर गलत तथ्य रखकर अपना आवेदन पेश किया और उपखण्ड अधिकारी ने उनकी जांच नही कर अप्रार्थी के हक में आवंटन कर गलत आदेश पारित किया है प्रार्थी का कब्जा बरसों से है। प्रार्थी को कभी बेदखल नही किया गया है आज भी कब्जा प्रार्थी का है। उक्त भूमि प्रार्थी की दीगर खातेदारी की भूमि में मिली हुयी है मौके पर एक की खेत बना हुआ है सुपुर्दगीनुमा की कार्यवाही भी कागजी कार्यवाही है अप्रार्थी के हक मे किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आवेदन स्वीकार कर फरमाया जाकर अप्रार्थी के हक में जो आवंटन हुआ है निरस्त फरमाया जावें।

(दिनेश धाकड)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

6. **अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन** किया कि दिनांक 06.01.2011 को मिनअप्रार्थी को ख.नं0 398 का खसरा नम्बर 398/1 रकबा 0.15 है0 भूमि वाके ग्राम कोटडी का आवंटन मन अप्रार्थी को वैधानिक प्रक्रिया एवं वैधानिक प्रावधानों की पालना करते हुये किया था। ख0नं0 398 का पूरा रकबा 0.35 है0 है जिसमें से 398/1 रकबा 0.15 है0 भूमि मन अप्रार्थी को सही रूप से आवंटित की गयी ओर जिसका नक्शा ट्रैस में भीतर मन किया गया एवं मन अप्रार्थी को आवंटित की गयी भूमि का नियमानुसार मन अप्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया गया तब से मन अप्रार्थी आज तक लगातार उक्त आराजियात पर काबिज काश्त है जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरियों व राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। खसरा नम्बर 398 का कुल रकबा 0.35 है० है जिसका राजस्व रिकार्ड के अनुसार नक्शा ट्रैस में 0.35 है0 की तरमीम हो चुकी है एवं मौके पर भी उक्त आराजी का रकबा 0.35 है0 भौतिक रूप से मौजूद है। जिसके कारण ही उक्त रकबे मे से 0.15 है0 भूमि मिन अप्रार्थी को एवं 0.20 है0 भूमि प्रार्थी को नियमानुसार अलोट की गयी है। प्रार्थी को पूर्व में अलोटमेंट हुआ उसके पश्चात जो शेष रकबा राजकीय भूमि का खाली था उसको आवंटन होने योग्य होने मानकर ही प्रार्थी को नियमानुसार वैधानिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों की पालना करते हुए आवंटन किया गया ओर कब्जा सुपुर्द किया जिस पर मन अप्रार्थी बतौर मालिक एंव स्वामी काबिज काश्त है। उक्त अलॉटमेन्ट को निरस्त करवाने का प्रार्थी को कानूनन हक अधिकार हासिल नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत अधिकृत व सक्षम अधिकारियों के द्वारा वैधानिक प्रक्रिया एवं वैधानिक प्रावधानो की पालना करते हुए मन अप्रार्थी को उक्त आराजी को अलॉटमेन्ट किये ज़ाने का पात्र पाते हुए सम्पूर्ण मोका रिपोर्ट व पटवारी की रिपोर्ट के पश्चात आंवटन किया जाकर मौके पर सुपुर्देगी की कार्यवाही की गयी है। जिसे कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के द्वारा खसरानम्बर 398 रकबा 0.35है0 की तरमीम राजस्व रिकार्ड में किए जाने के आदेश के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रैस में उक्त खसरानं0 की तरमीम सही रूप से की गयी है मौके पर उक्त खसरा नं0 का रकबा मौके पर भौतिक रूप से मौजूद होने के कारण ही पटवारी रिपोर्ट के पश्चात् मन अप्रार्थी को आवंटन किया जाकर सुपुर्द किया गया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हजाखर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. *उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। आवंटन पत्रावली सं0 05/2011 प्रार्थी श्री हंसराज पुत्र श्योजी गुर्जर निवासी कोटड़ी को दिनांक 06.01.2011 को ख0नं0 164/989 रकबा 1.00 है0 व ख.नं0 398/1 रकबा 0.15 है0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा आवंटित की गयी। ख0सं0 164/989 के नये नं0 164/992 बने। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के आदेश क्रमांक 1317 दिनांक 20.06.2011 द्वारा प्रार्थी हंसराज को आवंटित ख0नं0 164/992 रकबा 1.00है0 को प्रार्थी की गैरखातेदारी से हटाया जाकर सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये। अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत रेस्पो0 हंसराज को आवटित ख0सं0 398/1 रकबा*

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

0.15 है0 आवंटन खारिज कराने बाबत् यह अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी जिन आधारों पर आवंटन खारिज कराना चाहता है उसके संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अनुसार यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के आधार पर अथवा नियमों के विरूद्ध या आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नही की हो उसी आधार पर आवंटन खारिज किया जाने का प्रावधान है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन व अध्ययन से यह जाहिर आया है कि अप्रार्थी को जो आवंटन किया गया है वह कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के आधार पर अथवा नियमों के विरूद्ध किया जाना नही पाया गया है। प्रार्थी द्वारा कब्जे बाबत् भी कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

–: आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 05/2011 के द्वारा दिनांक 06.01.2011 को कोटड़ी के आराजी नम्बर 398/1 रकबा 0.15 है0 भूमि अप्रार्थी को की गयी भूमि आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
पीठासीन अधिकारी
अति. जिला कलेक्टर, केकड़ी

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलेक्टर, केकड़ी